

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/20-21, 22-23/26 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15.04.2026

आज्ञा


राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित किए जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के अशा.टीप. क्रमांक प.9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.03.2026 द्वारा राजस्थान लेखा सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों में से श्रीमती मनीषा मीणा (क्रम संख्या 89) द्वारा पूर्व सेवा में प्रसूति अवकाश पर होने के कारण ह0च0मा0 रीपा, जयपुर में दिनांक 23.03.2026 से संचालित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति प्रस्तुत करने से छूट चाही गई है।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997, 16.08.2005, 24.03.2022 एवं 18.05.2022 के अनुसार परीक्षणोपरान्त श्रीमती मनीषा मीणा को नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए दिनांक 29.06.2026 तक कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि स्वीकृत की जाकर उक्त अभिवृद्धि अवधि पश्चात अपनी उपस्थिति वित्त (राजस्व) विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

श्रीमती मीणा के द्वारा स्वीकृत अभिवृद्धि पश्चात भी अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

शेष शर्तें वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2026 जयपुर, दिनांक 20.03.2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,



(पवन जैमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
6. महानिदेशक एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, हचमा रीपा, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव